भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2476

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

मेकेदातु जलाशय और तटवर्ती राज्यों की सहमति

2476. श्री प्रवीण चक्रवर्ती:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय निचले तटवर्ती (रिपेरियन) बेसिन राज्यों की सहमति पर विचार किया जाएगा;

(ख) कृष्णराजसागर और काबिनी के अनुप्रवाह में वर्तमान में अनियंत्रित जलग्रहण प्रवाहों तथा शिम्शा, अर्कावती और सुवर्णवती उप-बेसिनों पर इस परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) उक्त परियोजना, विशेष रूप से बिलिगुंडलू में जल निकासी पर इसके प्रभाव का परीक्षण करते समय केंद्रीय जल आयोग, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति द्वारा किन जलविज्ञान अध्ययनों और कार्यप्रणालियों का सहारा लिया गया है;

(घ) क्या इस मूल्यांकन में 177.25 टीएमसी के वार्षिक आबंटन के अलावा, मासिक जल निकासी अनुसूचियों का भी परीक्षण किया गया है; और

(ङ) वार्षिक रूप से कितना अनियंत्रित प्रवाह जलाशय में संचित करने का प्रस्ताव है और क्या केंद्रीय जल आयोग/कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना द्वारा 'कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018' का गठन किया जिसमें 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (सीडब्ल्यूएमए) और 'कावेरी जल विनियमन समिति' (सीडब्ल्यूआरसी) शामिल हैं। इनका उद्देश्य सीडब्ल्यूडीटी के उस आदेश को लागू करना है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.02.2018 के अपने निर्णय द्वारा संशोधित किया था। दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना के पैरा 3 (डी) और पैरा 17 (2) के अनुसार, सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी में सह-बेसिन राज्यों - केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी

के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.06.2018 की अधिसूचना के पैरा 10 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीडब्ल्यूएमए की शक्तियों, कार्यों और दायित्वों के अनुसार, सीडब्ल्यूएमए को कावेरी बेसिन में ट्रिब्युनल अवार्ड (जिसे माननीय न्यायालय ने संशोधित किया है) के नियामक और कार्यान्वयन की भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा गया है। सीडब्ल्यूएमए की शक्तियों, कार्यों और दायित्वों के मद्देनजर, सीडब्ल्यूसी ने कावेरी बेसिन में "सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, उनके मूल्यांकन और उन्हें स्वीकार करने के दिशानिर्देश 2017" के अनुपूरक के रूप में जल संसाधन परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (सीडब्ल्यूएमए) परियोजना में प्रस्तावित जल उपयोग के साथ सीडब्ल्यूडीटी अवार्ड (जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने संशोधित किया है) के अनुरूप अथवा अन्यथा अपनी राय देगा।

(ख) से (ङ): परियोजना प्राधिकारी की ओर से, डीपीआर के हिस्से के तौर पर, प्रस्तुत की गई जल विज्ञान अध्ययन की जांच और समीक्षा सीडब्ल्यूसी द्वारा डीपीआर के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के दौरान की जाती है। किसी भी परियोजना के लिए जल विज्ञान अध्ययन को न्यायाधिकरण के निर्णय और माननीय न्यायालयों के निर्णयों/फैसलों के अनुरूप किया जाता है। कर्नाटक के मेकेदातु सुंतलन जलाशय सह पेयजल परियजोना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जिसे वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया था, परियोजना प्राधिकारी को इस अनुरोध के साथ वापस भेज दिया गया है कि वे सीडब्ल्यूडीटी अवार्ड और सीडब्ल्यूसी के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करें।

*****